Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from 144-Sanchore Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

SHRI SUKHRAM VISHNOI (Name)

VILLAGE - KERIYA, TEHSIL - CHITALWANA, DISTRICT- JALORE (RAJ.) (Address)¹ [sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jalore

Date: 11-12-2018

Signature (गोमती शमा)
Returning Office

्य खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट विधानसभा क्षेत्र सांचौर—144

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

144-सांचौर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि —

श्री सुखराम विश्नोई (नाम) निवासी — केरिया, तहसील—चितलवाना जिला— जालोर (राज.) (पता)¹
[जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए
गए / की- प्रर्च ।]

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ र्व्य हैं।

स्थान : जालोर

तारीख : 11.12. 2018

हस्ताक्ष(शोमती शमा)

रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर वण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट

विदानसमा क्षेत्र सांचौर-144